

## राजस्व आदेश अनुवृत्ति पत्र

राजस्व प्रकरण क्रमांक 20250603/000026 अ/62 वर्ष 2024-25

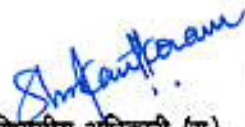
| (1)                                                                                                 | (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (3) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <p>24.06.2025</p>  | <p>प्रकरण पेश। सहायक वन परिक्षेत्र अधिकारी डोंगरगांव एवं राजस्व निरीक्षक अर्जुनी से संयुक्त जांच प्रतिवेदन प्राप्त, अवलोकन किया। आवेदिका फुलेश्वरी ध.प. कैलाश, जाति गोंड, निवासी ग्राम मोहभट्टा, तहसील डोंगरगांव, जिला राजनांदगांव द्वारा ग्राम मोहभट्टा, प.ह.नं. 36, तहसील डोंगरगांव, जिला राजनांदगांव स्थित अपने भूमि स्वामी हक की भूमि खसरा नंबर 246, 247 रकबा 0.146, 0.304 हेक्टेयर में स्थित 13 नग सागौन वृक्ष को कटाई करने हेतु अनुमति प्रदान करने आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।</p> <p>प्रकरण में वन विभाग, राजस्व निरीक्षक अर्जुनी से संयुक्त स्थल जांच प्रतिवेदन लिया गया। संयुक्त स्थल जांच प्रतिवेदन का अवलोकन किया।</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. प्रतिवेदनानुसार संयुक्त टीम द्वारा स्थल जांच किया गया एवं स्थल पर कटाई किये जाने हेतु वृक्षों का गणना खसरा नंबरवार किया गया है साथ में सहायक परिक्षेत्र अधिकारी डोंगरगांव के द्वारा वृक्षों की छाती, गोलाई का नाप किया गया जिसे प्रारूप में प्रजाति एवं छाती गोलाई के अनुसार दर्शाया गया है।</li> <li>2. प्रतिवेदन में मौके पर 12 नग सागौन वृक्ष को चिह्नंकित करते हुये काटने की अनुशंसा की गयी है। सूची प्रारूप प्रकरण में संलग्न किया गया है।</li> <li>3. राजस्व निरीक्षक एवं सहायक परिक्षेत्र अधिकारी वन विभाग डोंगरगांव के संयुक्त स्थल जांच प्रतिवेदन एवं संलग्न दस्तावेजों का परीक्षण किया। संलग्न खसरा पांचसाला अनुसार ग्राम मोहभट्टा, प.ह.नं. 36, तहसील डोंगरगांव, जिला राजनांदगांव स्थित भूमि खसरा नंबर 246, 247 रकबा 0.146, 0.304 हेक्टेयर श्रीमती फुलेश्वरी ध.प. कैलाश, जाति गोंड, निवासी ग्राम मोहभट्टा, तहसील डोंगरगांव के नाम पर दर्ज है। खसरा पांचसाला के कैफियत कॉलम में खसरा नंबर 246 रकबा 0.146 हे. में 04 नग सागौन वृक्ष एवं खसरा नंबर 247 रकबा 0.304 हेक्टेयर में 8 नग सागौन वृक्ष दर्ज है।</li> <li>4. संयुक्त जांच प्रतिवेदन अनुसार खसरा नंबर 246 रकबा 0.146 हे के अनुक्रमांक 1, 2, 3, 4 रोगग्रस्त एवं खसरा नंबर 247 रकबा</li> </ol> |     |

0.304 हेक्टेयर के अनुक्रमांक 1 सूखा, अनुक्रमांक 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 रोगग्रस्त कुल 12 (बारह) सागौन वृक्ष हैं।

अतः छ.ग.भू.संहिता 1959 की धारा 240, 241 (संशोधित) के नियम 3 की कण्डिका (एक) एवं राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 11 फरवरी 200 की अधिसूचना क्र. 61/11 फरवरी 2022 के तहत राजस्व निरीक्षक एवं सहायक परिक्षेत्र अधिकारी वन विभाग के संयुक्त स्थल जांच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए आवेदिका को ग्राम मोहभट्टा, प.ह.नं. 35, तहसील डोंगरगांव, में स्थित भूमि खसरा नंबर खसरा नंबर 246, 247 रकबा 0. 146, 0.304 हेक्टेयर के कैफियत कॉलम में दर्शित 12 नग सागौन वृक्ष अनुसार सूची में दर्शित कुल 12 नग सागौन प्रजाति के वृक्षों को काटे जाने की अनुमति निम्न शर्तों के अधीन दी जाती है :-

1. उक्त वृक्षों का विदोहन एवं परिवहन वन विभाग के सक्षम अधिकारी नियम 8(2) के परिपालन में सुनिश्चित करेंगे।
2. उक्त वृक्षों का विदोहन वन विभाग के सक्षम अधिकारी की निगरानी में स्वयं के व्यय पर उनके आदेशानुसार सुनिश्चित करेंगे।
3. छ.ग.वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम 1969 (क्रमांक 09 सन 1969) एवं भारतीय वन अधिनियम 1927 (1927 का 16) के अंतर्गत निर्मित छत्तीसगढ़ परिवहन (वन उपज) नियम 2001 का पालन नहीं किए जाने पर यह अनुमति शून्य होगी।
4. वृक्षों को काटे जाने के दौरान वन विभाग द्वारा वृक्ष कटाई नियम 2022 के नियम 8(2) का पालन सुनिश्चित किया जावेगा।

प्रकरण मे राजस्व विभाग एवं वन विभाग द्वारा संयुक्त जांच उपरांत प्रस्तुत सूची आदेश का अंग होगा। वनमण्डलाधिकारी राजनांदगांव को पृथक से ज्ञापन जारी हो, पश्चात् प्रकरण नस्तीबद्ध कर दाखिल दफ्तर हो।

  
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)  
डोंगरगांव  
जिला-राजनांदगांव (छ.ग.)

